

**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**  
 अम्बेडकर भवन, जी-3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर  
 क्रमांक एफ1( )/स्था/सान्याअवि/2021/ 16751 जयपुर दिनांक:- 24-12-2021  
कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा- 2018 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा अनुसार कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्रांक प. 9(1) कार्मिक/क-4/2/2021 दिनांक 24.12.2021 के द्वारा नियुक्ति हेतु संदर्भित किये जाने पर राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय-समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा में ग्रुप "बी" परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी के पद पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की कालावधि (परिवीक्षा काल) के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर L-11 में राशि 26500/- पारिश्रमिक वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं.	मैरिट संख्या	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)	श्रेणी	जन्म तिथि	REMARK
1	419	814899	नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री फूल सिंह निवासी 34 बीच का थोक, गाँव पोस्ट परसवारा, जिला भरतपुर पिन कोड 321028	BC	08-12-1990	Ag-GE
2	430	809443	मोनिका खीचड़ पुत्री श्री विनोद कुमार निवासी गाँव दड़ियो का बांस, पोस्ट सीगड़ा, तहसील झुन्झुनू पिन कोड 333704	BC, WE	15-06-1992	Ag- GE-WE
3	453	809630	हरीश यादव पुत्र श्री प्रकाश वीर यादव निवासी ग्राम खेरकी, मुक्कर, पनियाला मोड़, पोस्ट पनियाला, तहसील कोटपूतली जयपुर पिन कोड 303108	BC	26-03-1993	Ag-GE
4	476	805499	संदीप कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार निवासी 229 वार्ड न0 5 हनुमान मंदिर गली, जोडकिया हनुमानगढ़ पिन कोड 335512	BC	03-04-1990	Ag-GE
5	487	813121	सुमन पुत्री श्री महेन्द्र सिंह निवासी सुरतपुरा, राजगढ़ चूरु पिन कोड 331023	GE, WE	08-09-1993	
6	501	820584	पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री मुकन्द सिंह निवासी राजपूतो का बाँस, डोरड़ा, जिला जालौर पिन कोड 307515	GE	20-11-1992	
7	503	809252	आस्था शर्मा पुत्री श्री बाबूलाल शर्मा, निवासी 69 देवधारा कॉलोनी, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर पिनकोड 302039	GE, WE	13-09-1994	

31

क्र.सं.	मैरिट संख्या	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)	श्रेणी	जन्म तिथि	REMARK
8	519	808724	मौर कंवर पुत्र श्री उमेद सिंह गाँव सिणधरा, पोस्ट थूर, तहसील जसवंतपुरा जिला जालौर पिनकोड 307803	GE, WE	05-07-1990	Ag-GE
9	547	808895	अजीत कुमार ओझा पुत्र श्री रामप्रसाद शर्मा, निवासी गाँव/पोस्ट हिंसामपुर वाया नासिरदा, तहसील देवली, टोंक पिन कोड 304507	GE	05-08-1988	
10	575	800488	नरेश नागर पुत्र श्री घनश्याम नागर निवासी चेयरमेन मोहल्ला, गीगचा दरवाजा, बारां पिन कोड 325216	BC	06-11-1994	Ag-GE
11	587	800284	प्रियंका चौधरी पुत्री श्री जगदीश प्रसाद चौधरी निवासी किसान कॉलोनी, शीतला माता मन्दिर के पास, मानासर, नागौर पिनकोड 341001	BC, WE, RG	05-05-1994	
12	1014	813944	गोविन्द प्रतिहार पुत्र श्री कजोड मल गुर्जर निवासी 17 मुख्य ग्राम डाबिच गूजरान, तहसील फागी, जयपुर पिन कोड 303006	MB	19-02-1994	
13	1289	813356	बंजरग लाल मीणा पुत्र श्री लक्ष्मण राम मीणा निवासी ग्राम पोस्ट माल्यावास वाया फुलेरा जयपुर पिनकोड 303338	ST	10-07-1985	
14	1542	812415	रणछोड़ कुमार गर्ग पुत्र श्री वगता राम गर्ग निवासी पेचका के सामने ग्राम पोस्ट बरलूट वाया जवल तहसील सिरोही, सिरोही पिन कोड 307801	SC	13-07-1997	
15	1563	811323	प्रियंका पुत्री श्री मुन्शी राम निवासी सांवरिया सदन पॉवर हाउस के पास मुण्डावर, अलवर पिन कोड 301407	SC, WE	15-12-1993	Ag-SC
16	1586	800057	शम्भू सिंह रावत पुत्र श्री देवी सिंह रावत निवासी बदनौर, स्कूल के पास, चैनपुरा, भीलवाड़ा पिन कोड 311301	BC, EX	10-02-1981	
17	1616	813444	हरिकृष्ण पुत्र श्री सागर मल निवासी ग्राम पोस्ट बुकनसर, बड़ा तहसील सरदारशहर चूरु पिन कोड 331411	SC	23-11-1990	
18	1772	821638	कुम्प सिंह पुत्र श्री रतन सिंह निवासी ग्राम अचलपुरा पोस्ट लूणाखुर्द तहसील भनियाणा, पोकरण, जैसलमेर पिन कोड 345026	GE, EX	10-05-1980	

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही हैं:-

- उक्त नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 4296/2021 सुरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 4131/2020 ज्योति शर्मा बनाम राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 11806/2021 शिप्रा चौधरी बनाम राज्य एवं अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 7044/2020 किशन लाल सहारण एवं अन्य बनाम राज्य सरकार, एस.बी.

सिविल रिट पिटिशन सं. 8380/2015 राजेश शर्मा एवं अन्य बनाम राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13582/2021 नटवर सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13976/2021 कुलवन्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य एवं राज0 राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2018 से संबंधित दायर समस्त रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं (सील्ड कवर रखने के आदेश) एवं समस्त वादकरणों के अन्तिम निर्णयों के अध्यक्षीन रहेगी।

2. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जाँच के अध्यक्षीन रहेगी।
3. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं प.14 (1) वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प.15 (1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (सिडूल-4/रुल्स 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. संख्या 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
4. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.15(1)कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.8.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
5. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वहीं है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् स्वीकार किया गया है।
6. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसरण में उक्त सेवा नियमों के ग्रुप 'बी' परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
7. उक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यक्षीन है।
8. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान समाज


कल्याण अधीनस्थ सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है, तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

10. सेवा से नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग-पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बंधक पत्र निष्पादित करेंगे।
11. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
12. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुये इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यक्षीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र/पुलिस वेरिफिकेशन प्रतिकूल प्राप्त होता है तो उसकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
13. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में अभ्यर्थी को "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी।
14. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् 2 से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं, परन्तु प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चावर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा।
15. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 के अनुसरण में टीएसपी वर्ग अभ्यर्थियों से उक्त अधिसूचना के क्रम में शपथ पत्र लेना आवश्यक होगा।
16. अभ्यर्थी को नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग में प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
17. उक्त सभी अभ्यर्थी कार्यग्रहण स्थान पर उपस्थिति के समय निम्न दस्तावेज साथ लेकर उपस्थित होंगे।
  1. नियुक्त अभ्यर्थी आवेदन के समय धारित शैक्षणिक योग्यताओं एवं सेवा आंवटन के समय धारित अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताओं संबंधी मूल दस्तावेज एवं उनकी 1-1 स्वप्रमाणित प्रति।

2. जन्मतिथि प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)।
3. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)।
4. मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)।
5. आपराधिक प्रकरणों के संबंध में 'self declaration' अथवा शपथ पत्र।
6. वैवाहिक होने की स्थिति में जीवित संतान/संतानों की सूचना।
7. गुटखे एवं धूम्रपान सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्ध प्रपत्र।

उपरोक्त दस्तावेजों के साथ निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, जी-3/1 रेजीडेन्सियल एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर में दिनांक 27.12.2021 को उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

18. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

  
 24/12/21  
 (ओ० पी० बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ1( )/स्था/सान्याअवि/2021/16752-820 जयपुर दिनांक:- 24-12-2021  
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, जयपुर।
2. शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क-4/2) शासन सचिवालय जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
5. आयुक्त, बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन विभाग, राज०, जयपुर।
6. निजी सचिव निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सान्याअवि जयपुर।
8. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण.....।
9. एसीपी मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. सम्बन्धित अधिकारी श्री/श्रीमती/सुश्री .....।
11. व्यक्तिगत पत्रावली।
12. कार्यालय पत्रावली।



(रतन लाल अटल)

उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन)